बिहार विधान सभा के लिए तारांकित प्रश्न

श्री रामचन्द्र सहनी, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.07.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–पुन–04 के उत्तर के संबंध में। **क्या मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–**	**श्रीमती लेशी सिंह,** प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना
तारांकित प्रश्न	**उत्तर**
(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चमपारण जिला अन्तर्गत प्रखड रामगढ़वामें सूखा राहत कोष, 2011 योजना के तहत लगभग 90 लाख रूपये का वितरण अंचल रामगढ़वा द्वारा एक सर्वे सूची के आधार पर राशि का वितरण करना था;	वर्ष 2011 में सूखा राहत वितरण हेतु अंचल कार्यालय रामगढ़वा को 85,24,800.00 रू0 का आवंटन इस मद में दिया गया था, जिसका वितरण सर्वेक्षण सूची के आधार पर करना था।
(2) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी रामगढ़वा द्वारा बिना कोई सर्वे सूची को विचौलिया के माध्यम से गलत हस्ताक्षर एवं निशान लगाकर ओर सूखा राहत कोष 2011 के अंतिम तिथि और पंचायत चुनाव आचार संहिता के समय बैंकों से विभिन्न राजस्व कर्मचारियों द्वारा निकासी की गई है;	सूखा राहत वितरण से संबंधित प्रश्नगत अनियमितता की जॉच अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल से मांग की गई थी। उनके पत्रांक –548 दि0–02.07.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व नाजिर द्वारा प्रभार नहीं दिये जाने के कारण अभिश्रव एवं सर्वेक्षण सूची उनके आलमीरा में बन्द है । फलस्वरूप उत्तर का प्रतिवेदन देने में कठिनाई हो रही है । 18 दिनों के अन्दर अभिलेख /अभिश्रव प्राप्त कर जॉच करने की कार्रवाई की जायेगी । प्रभार नहीं दिये जाने के कारण संबंधित नाजिर पर इस कार्यालय के पत्रांक –216 दिनांक –03.07. 2014 द्वारा प्रपत्र 'क' गठित कर कार्रवाई करने हेतु निर्देश अनुमण्डल पदाधिकारी, रक्सौल को दिया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत की गई घोर वित्तीय अनियमितता में संलिप्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध जॉचोपरांत उचित कार्रवाई कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कबतक?	जॉच में दोषी पाये जाने पर अनियमितता में संलिप्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई शीघ्र की जाएगी ।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04/वि0स0ता0प्र0–23/2014/................................/आ0प्र0 दिनांक –

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक –1509 दिनांक –28.06.2014 के क्रम में 04(चार) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –04/वि0स0ता0प्र0–23/2014/ 2359 /आ0प्र0 दिनांक – 9/7/14

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

9/7/14
सरकार के संयुक्त सचिव

Vidhan Sabha 3-7-14 ke qu. & As\vidhan Sabha qu trankit qu. 3-7-14.docx